बिहार विधान सभा वादवृत्त

भारत के संविधान के उपबन्ध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य-विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में मंगलवार, तिथि ३० मार्च, १९५४ को ११ बजे पूर्वाह्न में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

Short-notice Questions and Answers.

हरनौत-बेलछी-चन्डी रोड।

†१८९। श्रीमती मनोरमा देवी—क्या मंत्री, लोक-निर्माण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि हरनौत-बेलछी-चन्डी रोड का १९५४-५५ में ३ करोड़ रुपये का राष्ट्रीयकरण की सूची में अंकित रहने पर भी अभी तक राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो इनका कब तक राष्ट्रीयकरण होगा;

(ग) क्या यह बात सही है कि उस रोड पर यातायात का कोई साधन न रहने से जनता को आवागमन की काफी दिक्कत उठानी पड़ती है;

(घ) यदि खंड (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो क्या सरकार हरनौत से बेलछी तक ६ मील सिर्फ तीस हजार रुपये खर्च में इस आर्थिक वर्ष में पक्की सड़क बनाने का इरादा रखती है?

श्री मुहम्मद शफी—(क) अभी प्रोविनिश्यलाइज की जाने वाली सड़कों की फिहरिस्त का फाइनल डिसीशन नहीं हुआ है।

(ख) ऊपर के जवाब से यह सवाल नहीं उठता है।

(ग) यह कच्ची सड़क है जो सूखे मौसम के लिये मुफीद है। यह सड़क सबसिडी में शामिल है और इसकी मरम्मत के लिये ४ हजार रुपये की सहायता मिलती है।

(घ) ३० हजार रुपये में ६ मील सड़क पक्की नहीं होती है।

---

†सदस्या की अनुपस्थिति में श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह के अनुरोध पर प्रश्न का उत्तर दिया गया।

श्री राघवेन्द्र नारायण सिंह—सन् १९५४-५५ शुरू होने ही वाला है। इसका फैसला कब तक होगा?

श्री मुहम्मद शफी—फिहरिस्त बन चुकी है। कैबिनेट के मेम्बरों के पास जा रही है या जा चुकी होगी।

श्री त्रिवेणी कुमार—मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन-कौन सड़कें प्रौविन्शियलाइज होंगी इसका कोई आधार रक्खा गया है या नहीं?

श्री मुहम्मद शफी—कुछ मेम्बरों से राय ली गई थी और कमिश्नर से फिहरिस्त मांगी गई थी। आफिस ने इसको एक्जामिन किया था और इसके बाद कुछ हमारे डिपार्टमेन्ट के अफसरों से भी मशविरा लिया गया था जिन्हें सड़कों की इम्पौर्टेन्स की वाकफीयत थी। इसके साथ-साथ हमेशा यह भी ख्याल रखा जाता है कि जिलों को सब-डिवीजन से और फिर उसके बाद थानों से मिलाया जाय। एक जिले को दूसरे जिले से भी मिलाया जाय।

बेली रोड और मैंगल्स रोड की मरम्मति।

†२०८। श्री नवल किशोर सिंह—क्या मंत्री, लोक-निर्माण विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि बेली रोड और मैंगल्स रोड को जिस ठीकेदार ने बनाया है उसका नाम पहले से ही ब्लैक लिस्ट में दर्ज है;

(ख) यदि खंड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उक्त ठीकेदार को इन सड़कों को मरम्मत कराने का काम क्यों दिया गया;

(ग) क्या सरकार इस मामले के लिये जिम्मेवार अधिकारी के वेतन से सड़क मरम्मत का खर्च वसूल करेगी तथा ऐसी कदम उठायेगी जिससे भविष्य में वैसे ठीकेदारों को काम न मिले जिनका नाम ब्लैक लिस्ट में दर्ज हो?

श्री मुहम्मद शफी—(क) जवाब "ना" में है।

(ख) सवाल नहीं उठता है।

(ग) सवाल नहीं उठता है।

श्री जगन्नाथ सिंह—किस ठीकेदार ने यह रोड बनाया था?

श्री मुहम्मद शफी—बेली रोड श्री रामगोविन्द सिंह ने बनाई और सीबिना का काम श्री दीपनारायण ने किया।

श्री जगन्नाथ सिंह—यह जो काम हुआ है इसके लिये फुल पेमेंट कर दिया गया है या कुछ घटाया गया है चूंकि काम खराब हुआ है?

†सदस्य की अनुपस्थिति में श्री जगन्नाथ प्रसाद सिंह के अनुरोध पर उत्तर दिया गया।

श्री मुहम्मद शफी—मैंने कहा कि अभी फर्दर क्लेरिफिकेशन मांगा गया है जिसकी रिपोर्ट अभी नहीं आई है, इसलिये अभी यह कहना मुश्किल है कि काम खराब हुआ है या अच्छा।

---

700 HOUSES REDUCED TO ASHES.

†228. **Shri NARENDRA NATH DASS:** Will the Revenue Minister be pleased to state—

(*a*) whether the attention of the Government has been drawn to a news item published in a local daily paper, dated 11th March, 1954 under the caption "700 Houses Reduced to Ashes in Darbhanga Village";

(*b*) whether it is a fact that no help has been rendered as yet in view of the fact that the outgoing big Zamindars used to help the sufferers in times of such dire calamity;

(*c*) in view of the fact that the village Baghant has vested in the State, will Government make some special provision for the rehabilitation of the sufferers so as to demonstrate to the public that the policy of the Government in taking over the Zamindari was motivated for the good of the tenants and Government takes more care than the outgoing Zamindars in times of such disastrous mishap?

Shri KRISHNA BALLABH SAHAY: (*a*) The answer is in the affirmative.

(*b*) It is not a fact that no help has been rendered as yet. 69 maunds of rice have already been distributed amongst the indigent persons as gratuitous relief. 50 blankets, 300 yards of sari cloth and 25 yards of other cloths have been given for distribution in the village. Enquiries are being made for the grant of Natural Calamities loans and lists of persons to whom house building grants should be given have also been prepared. Besides, Government have sanctioned a grant of Rs. 5,000 for rendering relief to the fire sufferers.

(*c*) From the reply to clause (*b*) above, it will appear that Government have taken all possible steps to render aid and relief to the victims of the fire and so the question of any special provision does not arise. It is doubtful if the outgoing zamindars would have given relief on the same scale as Government have done.

---

† In the absence of the member the answer was given at the request of Shri Hridaya Narayan Chaudhuri.